Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

नई शिक्षा नीति में सामाजिक विज्ञान

कैलाश चन्द्र वैष्णव*

* व्याख्याता, राजकीय कन्या महाविद्यालय, फलासिया, जिला उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है।

शिक्षा का तात्पर्य जीवन में चलने वाली ऐसी प्रक्रिया–प्रयोग से है, जो मनुष्य को अनुभव द्वारा प्राप्त होते हैं एवं उसके पथप्रदर्शक बनते हैं। यह प्रक्रिया सीखने के रूप में बचपन से ही चलती है एवं जीवन पर्यन्त चलती रहती है जिसके कारण मनुष्य के अनुभव भण्डार में लगातार वृद्धि होती रहती है।

शिक्षा शब्द संस्कृत के 'शिक्ष' धातु से बना है, जिसका अर्थ 'सीखना' अथवा 'सिखाना' होता है। शिक्षा का अर्थ आन्तरिक शक्तियों अथवा गुणों का विकास करना है।

नई शिक्षा नीति को भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को मंजूर कर देश के सभी राज्यों के सामने प्रस्तुत कर लागू करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है और कुछ राज्यों में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। कर्नाटक पहला राज्य बना है जहां नई शिक्षा नीति लागू की गई है। नई शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य देश में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार लाने के लिए मार्ग प्रशस्त करना और 2030 तक स्कूली शिक्षा में शत–प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना प्रस्तावित है। नई शिक्षा नीति में कई महत्वपूर्ण बाते समाहित है उसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी शिक्षा के साथ–साथ आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता अर्थात् पढ़ने–लिखने और गणित में बुनियादी कौशल पर जोर दिया है। स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्यत्तर व्यावसायिक धाराओं के बीच समन्वय बिठाते हुए इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से शुरू करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कक्षा पांचवी तक की पढ़ाई मातृभाषा अथवा क्षेत्रिय भाषा में करने का प्रावधान करते हुए 3600 हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के साथ मूल्यांकन में सुधार और लर्निन आउट कम प्राप्त करने के लिए छात्र प्रगति पर नजर रखना महत्वपूर्ण कदम है।

भविष्य में सभी राज्यों में नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन निश्चित है। और सभी राज्यों को एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकों के साथ सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक की रचना भी करना होगा। शिक्षाशास्त्री, शिक्षक और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों के मन में कई प्रश्न उठे होंगे अथवा उठ रहे होंगे कि पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए। विदित है कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और वांछित परिणाम को प्राप्त करने में पाठ्यपुस्तक का महत्वपूर्ण योगदान है। पाठ्यपुस्तक में क्या पढ़ाना है? क्यों पढ़ाना है? कितना पढ़ाना है? कैसे पढ़ाना है? आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करते हुए पाठ्यक्रम निर्धारण करने की बड़ी चुनौती के साथ–साथ भारत में विविधता मूलक समाज होने शिक्षा का प्राय: राजनीतिकरण करने की प्रवृत्ति के कारण पाठ्यपुसतक निर्माण करने वाली संस्थाओं और राज्य सरकारों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। पाठ्यपुस्तक का निर्माण, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या ही नई शिक्षा नीति की अवधारणा के अनुरूप विद्यार्थियों को संस्कारित करने, मानव जीवन मूल्य की स्थापना के साथ–साथ अन्य तमाम उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य पाठ्यक्रम निस्तारण करते समय ध्यान में रखना होगा। छात्रों को मनोवैज्ञानिक अभिरूचि व वैज्ञानिक तरीके से कक्षा कक्ष में पठन–पाठन करना और जिस कक्षा के लिए पाठ्यपुस्तक बना रहे है उस कक्षा के छात्र की उम्र और ज्ञानार्जन करने की क्षमता का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अधिगम और बाल मनोविज्ञान का विशेष ख्याल रखने की जरूरत होगी? उस उम्र के छत्र को क्या देना चाहते हैं? इन सब बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए यहां कुछ तथ्यों का विश्लेषण प्रासंगिक है। नई शिक्षा नीति के अनुसार जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसका यहां विस्तार से चर्चा करना लाभकारी होगा।

नई शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण (**5+3+3+5**) 5 अर्थात् तीन से छह साल की उम्र तक का बालक आँगनबाड़ी में शिक्षा ग्रहण करेगा। पश्चात् 6 से 8 साल उम्र तक का बालक 2 वर्ष तक कक्षा पहली व दूसरी में पढ़ेगा। कोई परीक्षा नहीं। कोई पुस्तक नहीं। कोई अन्य पाबन्दी नहीं। बालवाटिका और खेलकूद के साथ संख्या ज्ञान। इस तरह 5 वर्ष अर्थात् 8 साल की आयु पूर्ण करने तक प्रथम चरण अर्थात् फाउंडेशन स्टेज समाप्त हो जायेगी।

3..... अर्थात प्राइमरी स्टेज अर्थात् 8 से 11 साल की उम्र का बालक कक्षा तीसरी चौथी और पांचवी पढ़ेगा। शिक्षा शिक्षण का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रिय भाषा में करने का प्रावधान है। कोई अवरोधन नहीं। यहाँ सामान्य विज्ञान, गणित और कला जैसे विषय के पठन–पाठन पर विशेष जोर दिया जाएगा। बालमन परत खोलने की भरपूर चेष्टा की जाएगी।

3+..... अर्थात् मिडिल स्टेज अर्थात् 11 से 14 साल की उम्र का बालक कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई करेगा। इन 3 वर्ष के चरण में कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। कोई अवरोधन नहीं। कोई बोर्ड परीक्षा नहीं है। किसी अन्य प्रकार की कोई रूकावट नहीं। कम्प्यूटर ज्ञान के साथ व्यावहारिक

शिक्षा और इंन्टर्नशीप का प्रावधान। अन्य विषय के साथ कोई भी एक भारतीय भाषा का अध्ययन।

4+.... अर्थात् 14 से 18 वर्ष की आयु का बालक कक्षा नौवी से 12वीं तक की पढ़ाई करेगा। यहाँ विषय चयन व पढ़ने की आबादी होगी और सकल निरीक्षण, परीक्षण के आधार पर परीक्षा परिणाम की घोषणा होगी। साल में दो बार परीक्षा का प्रावधान किया गया है। दसवीं बोर्ड से मुक्ति। बारहवीं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।

सामाजिक विज्ञान और क्षेत्र – सामान्यत: समाज के इर्द–गिर्द वाले विषय सामग्री के अध्ययन से सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत रखा जाता है। कक्षा छठी से आठवीं तक इतिहास नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र के विभिन्न आयामों का सामान्य अध्ययन इस विषय की अध्ययन सामग्री होती है।

सम्भावनाएँ :

1 सामान्य नागरिक शास्त्र के अध्ययन के अन्तर्गत राष्ट्रीय लक्ष्य, संविधान की विशेषताएँ, मौलिक अधिकार और कर्तव्य तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आदि पाठ्य सामग्री के अध्ययन की संभावना बनती है।

2 सामान्य भूगोल अध्ययन के अन्तर्गत देश की भौगोलिक बनावट, भौगोलिक लक्षण और भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करना हितकर होगा।

3 परिवार, समाज और संस्कृति का ज्ञान माध्यमिक स्तर पर अति आवश्यक है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति की परम्परा में संयुक्त परिवार तथा माता–पिता, दादा–दादी, नाना–नानी आदि रिश्तेदारियों को प्रगट करने वाले सामाजिक मूल्य एवं ऐसी पाठ्य सामग्री जो बालक के समाजीकरण में सहायक हो, का समावेश किया जाना अपेक्षित है।

4 अर्थशास्त्र की पाठ्यसामग्री के अन्तर्गत स्वावलम्बन बनाने वाले आर्थिक क्रिया–कलाप का सामान्य ज्ञान और स्वयं सहायता समूह एवं सहकारिता क्षेत्र के आयामों को जोड़ना नई शिक्षा नीति के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होंगे।

5 सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तकें केन्द्र व राज्य स्तर पर तैयार होगी या हो रही है, उसमें भारतीय ज्ञान परम्परा और प्रजातांत्रिक परम्परा जो कि हमेशा से शांति की अग्रदूत रही है का समावेश भारतीय शिक्षा दर्शन के अनुरूप होना चाहिए।

6 माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में भारत और भारतीय संस्कृति–सभ्यता से जुड़ी धारणाएँ, प्रवृत्तियाँ और लोकाचार का पाठन और पठन परिलक्षित होना चाहिए।

इस नीति के अन्तर्गत सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए है, जिसमें वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100 प्रतिशत तक लाना शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र पर केन्द्र व राज्य सरकार की मदद से जी.डी.पी. का 6 प्रतिशत हिस्सा ठ' करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।

नई शिक्षा नीति के गुण :

कौशल विकास पर जोर देती नई शिक्षा नीति उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विभिन्न स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की छूट दी जाएगी। जैसे 3 वर्ष के स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए 2 वर्षीय कार्यक्रम, 4 वर्ष के शोध स्नातक विद्यार्थियों के लिए एक वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम और 5 वर्ष का एकीकृत स्नातक हो सकते है।

नई शिक्षा का दोष :

नये विश्वविद्यालय व महाविद्यालय खोलने की रूपरेखा नहीं है। बच्चों की पढ़ाई के तीन साल बड़ा दिये। प्ले, नर्सरी, केजी की कक्षाओं को अनिवार्य करके जो शहरी प्राइवेट स्कूलों को अरबो का व्यापार देगा और गरीब माता–पिता को बोझ।

नई शिक्षा नीति के तहत् तमिल सरकार का कहना है, कि तमिल का कोई बच्चा दिल्ली में जाकर हिन्दी में पढ़ाई कैसे करेगा, जबकि केन्द्र सरकार की शिक्षा नीति के अनुसार ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि राज्य सरकार को 3 भाषा फॉर्मूला को अपनाना ही होगा और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे।

भारत की नई शिक्षा नीति विशेष रूप से चार चरणों में काम करेगी, **5+3+3+5** के पैटर्न को प्रयोग में लेकर स्टूडेन्ट की शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा। इस नए पैटर्न के तहत् 12 साल की स्कूली शिक्षा तथा 3 साल की फ्री स्कूलिंग शिक्षा शामिल है।

नई शिक्षा नीति शिक्षार्थियों के एकीकृत विकास पर केन्द्रित है। यह 10+2 सिस्टम को **5+3+3+5** संरचना के साथ बदल देता है, जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की प्री–स्कूलिंग होती है इस प्रकार बच्चों को पहले चरण में स्कूली शिक्षा का अनुभव होता है।

प्रत्येक राज्य में शिक्षा विभाग की स्थापना से प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी भी राज्यों पर आ गई जिसके लिए उनके पास संसाधनों की कमी थी। इसके तहत् इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य प्राथमिक शिक्षा के विस्तार तथा विकास हेतु विशेष कार्य करे और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रिय भाषा हो।

हाल ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा पर व्यापक चर्चा आरम्भ हो गई है। शिक्षा के सम्बन्ध में गांधीजी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानन्द का कहना था कि, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्हीं सब चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी क्या कमिया रह गई थी, जिन्हें दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही क्या यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानन्द ने देखा था?

नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों को अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत् वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत जी.ई.आर. के साथ–साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है।

सावधानियाँ :

आजादी के पहले और बाद में जितनी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण हुआ है, उसमें अनेकानेक भाषाई, तथ्यों, घटनाओं एवं पात्र परिचय में भयंकर त्रुटियां हुई है। इतिहास अध्ययन के अन्तर्गत ऐसे तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति,

सभ्यता, लोकाचार जैसे मानवीय मूल्यों को कमतर आंकने और दिखाने का प्रयास हुआ है। परम्परा से प्राप्त उपाख्यान, वीरगाथा और ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ या तो खिलवाड़ किया गया अथवा तोर-मरोड़ कर भारतवर्ष की गौरवशाली परम्परा को ध्वंस करने के उद्देश्य से गलत तरीके से रखा गया। फलत: हमारे युवाओं में भारत की संस्कृति, धर्म और लोकाचार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता गया और वे पश्चिमी सभ्यता-संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान को ही श्रेष्ठ मानने के आदि हो गए। परिणामत: हम क्या थे और क्या होंगे? के स्वाभिमान और गर्व से दूर हो गए। नतीजा आज हमारे सबके सामने है।

सामाजिक विज्ञान बालक के व्यक्तित्व को बनाता और निखारता है। अत: सामाजिक विज्ञान पुस्तक लेखन में भाषा की शुद्धता, क्रमबद्धता एवं भाषा विज्ञान का अक्षरश:, पालन होना चाहिए। जो भी ऐतिहासिक तथ्यों का पठन-पाठन का समावेश किया जाना है, उन तथ्यों एवं कथाओं का क्रम सहीं होना चाहिए। जो पाठ्य सामग्री कक्षा के अनुसार अपेक्षित है। उन तथ्यों और कथाओं को प्रमाणित करने वाले संदर्भ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। जिन पात्रों का ऐतिहासिक परिचय सामाजिक विज्ञान के माध्यम से देना है उन पात्रों का इतिहास में जो वास्तविक योगदान है उसको उजागर करने की पुरजोर से चेष्टा होनी चाहिए।

समग्र रूप से कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 को यदि सफलता की ऊँचाई तक पहुँचना है तो हमें पाठ्यक्रम निर्धारण और पाठ्यसामग्री का चयन बहुत ही सोच-समझकर राजनीति से परे और बिना किसी भेदभाव से करना होगा। तभी भारत 2030 तक विश्व गुरू बनने की ओर अग्रसर होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. समकालीन भारत एवं शिक्षा - डॉ. भगवतीलाल व्यास
2. उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा - डॉ. डी.एल. शर्मा
3. उभरते भारतीय समाज में शिक्षा - डॉ. डी.डी. मेहता
4. भारत में शिक्षा का विकास - डॉ. डी. डी. मेहता
5. शैक्षिक चिंतन एवं प्रयोग - लाल एवं पलोड

****